

क्रमांक/राजस्थ/2017/76

दिनांक 5/3/17

-: आदेश :-

नागरिक उड्डान विभाग जयपुर द्वारा आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी असनावर द्वारा ग्राम कोलाना के ख0न0 218 की 77.04 बीघा में से 76.04 बीघा ख0न0 226 की 12.12 बीघा में से 10.10 बीघा ख0न0 367 की 24.18 बीघा में से 17.13 बीघा ख0न0 370 की 35.07 बीघा में से 19.04 बीघा ख0न0 229 की 11.02 बीघा में से 5.11 बीघा ग्राम खरखेडा के ख0न0 3 की 7.00 बीघा में से 0.18 बीघा ख0न0 4 की 2.05 बीघा में से 0.11 बीघा ख0न0 5 की 38.00 बीघा में से 1.07 बीघा ख0न0 6 की 2.12 बीघा में से 0.18 बीघा ख0न0 54 की 0.18 बीघा में से 0.04 बीघा ख0न0 55 की 41.11 बीघा में से 16.09 बीघा ग्राम खेरारसी के ख0न0 32 की 1.00 बीघा ख0न0 34 की 54.07 बीघा ख0न0 36 की 3.11 बीघा ख0न0 38 की 36.15 बीघा में से 23.16 बीघा ख0न0 40 की 48.19 में से 40.07 बीघा ग्राम भवरिया के ख0न0 1 की 1.05 बीघा ख0न0 10 की 11.05 बीघा ख0न0 11 की 1.03 बीघा ख0न0 12 की 89.06 बीघा में से 34.07 बीघा ख0न0 214 की 26.04 बीघा में से 19.12 बीघा ख0न0 215/ 377 की 3.05 बीघा में से 0.11 बीघा ग्राम मण्डावर के ख0न0 603 की 21.10 बीघा में से 16.01 बीघा ख0न0 623 की 21.14 बीघा में से 18.07 बीघा ख0न0 842 की 55.00 बीघा ख0न0 844 की 16.06 बीघा में से 14.04 बीघा कुल 26 किता की 444.05 बीघा किस्म वन भूमि कोलाना झालावाड़ हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास हेतु भूमि आवंटन किये जाने के प्रस्ताव तैयार कर गये राजस्थान सरकार के भिजवाये गये हैं। तथा कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास में आई वन विभाग 444.05 बीघा वन भूमि के बदले भूमि प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी गंगधार द्वारा ग्राम हरनावाडा के ख0न0 225/2 की 85.16 बीघा में से 57.18 बीघा ख0न0 277 की 24.17 बीघा में से 23.03 बीघा ख0न0 311 की 58.09 बीघा ख0न0 296 की 28.11 बीघा ख0न0 315 की 17.00 बीघा ख0न0 320 की 105.14 बीघा में से 100.00 बीघा ख0न0 304 की 56.09 बीघा ख0न0 360 की 82.15 बीघा ख0न0 380 की 44.13 बीघा में से 20.00 बीघा कुल 9 किता की 444.05 बीघा किस्म पहाड भूमि जो वन विभाग से लगवा है वो विभाग के नाम प्रत्यावर्तन किये जाने के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये हैं जो इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1 दिनांक 02.01.17 से स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये गये।

राज्य सरकार के पत्र सं0 2(2)राज-3/17 जयपुर दिनांक 02.03.17 से राजस्थान में राजस्थान आवंटन नियम 1963 तथा भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत स्वीकृति किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

Executive Engineer
P.W.D. div. Jhalawar
(Kolana Airport)

राज्य सरकार की स्वीकृति के आलोक में ग्राम कोलाना के ख0न0 218 की 77.04 बीघा में से 76.04 बीघा ख0न0 226 की 12.12 बीघा में से 10.10 बीघा ख0न0 367 की 24.18 बीघा में से 17.13 बीघा ख0न0 370 की 35.07 बीघा में से 19.04 बीघा ख0न0 229 की 11.02 बीघा में से 5.11 बीघा ग्राम खरखेडा के ख0न0 3 की 7.00 बीघा में से 0.18 बीघा ख0न0 4 की 2.05 बीघा में से 0.11 बीघा ख0न0 5 की 38.00 बीघा में से 1.07 बीघा ख0न0 6 की 2.12 बीघा में से 0.18 बीघा ख0न0 54 की 0.18 बीघा में से 0.04 बीघा ख0न0 55 की 41.11 बीघा में से 16.09 बीघा ग्राम खेरारसी के ख0न0 32 की 1.00 बीघा ख0न0 34 की 54.07 बीघा ख0न0 36 की 3.11 बीघा ख0न0 38 की 36.15 बीघा में से 23.16 बीघा ख0न0 40 की 48.19 में से 40.07 बीघा ग्राम भवरिया के ख0न0 1 की 1.05 बीघा ख0न0 10 की 11.05 बीघा ख0न0 11 की 1.03



